

Order sheet [Contd]

case No EX MJC- 35/2003

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20-12-17	<p>डिक्रीदार द्वारा श्री आर.के. वाजपेयी अधिवक्ता उप0।</p> <p>मद्यून रामसिंह पुत्र मंजीत सिंह सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0। मेमो पेश।</p> <p>मंजीत सिंह की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा-151 जा0दी0 25,000/-रुपए की रसीद एवं 25,850/-रुपए की रसीद तथा तहसीलदार के पत्र दिनांक 08.02.12 की फोटोप्रति पेश की गई है, जिसकी नकल डिक्रीदार को दिलाई गई।</p> <p>आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>मंजीत सिंह की ओर से व्यक्त किया गया है कि पूर्व में ही वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 में क्रमशः 25,000/-रुपए एवं 25,850/-रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है। इस प्रकार कुल राशि 50,850 रुपए जमा कराई जा चुकी है, अब कोई राशि शेष नहीं है। उक्त आधार पर पूर्ण संतुष्टि में इजरा कार्यवाही समाप्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>डिक्रीदार दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से विरोध किया है तथा आवेदन प्रस्तुत करते हुए 12 प्रतिशत की ब्याज की दर से अवार्ड दिनांक से वर्तमान तक की ब्याज राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बीमा कंपनी की ओर से यह इजरा 50,000/-रुपए की अवार्ड राशि तथा इजरा व्यय 850/-रुपए की वसूली हेतु यह इजरा प्रस्तुत की गई है। अवार्ड दिनांक 18.04.02 के अनुसार बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा मद्यून/आवेदकगण को प्रदान की गई 50,000/-रुपए की राशि प्रदान किए जाने का आदेश किया गया था। जिसमें ब्याज की राशि का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार मद्यून/आवेदकगण राम सिंह एवं अन्य के द्वारा अपील किए जाने पर अपील निरस्त की गई है और ब्याज दिलाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा ब्याज की राशि दिलाए जाने का कोई आदेश नहीं किया गया है। इजरा 50,850/-रुपए की वसूली हेतु प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>रसीद दिनांकित 28.05.08 की प्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इसी प्रकरण क्रमांक 35/2000 क्लेम में 25,000/-रुपए की राशि जमा कराई है। परंतु 25,850/-रुपए की राशि जो कि जमा कराई गई है। उक्त रसीद पर 24/2000-2007 प्रकरण क्रमांक लिखा</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>गया है, जो कि तहसीलदार के द्वारा भेजे गए पत्र में दर्शित प्रकरण क्रमांक के अनुसार लिखा गया है। सी.आई.एस. में सर्च कराए जाने पर उक्त 24/2006-2007 का प्रकरण इसी न्यायालय में लंबित होना पाया गया, जो कि इजरा प्रकरण है। जिसका उनवान दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम मानसिंह एवं अन्य है, जिसमें कुल 9,641/-रुपए की राशि का अवार्ड है एवं इजरा व्यय 1,000/-रुपए मिलाकर 10,641/-रुपए की वसूली होना है। स्पष्ट है कि तहसीलदार के उक्त पत्र में त्रुटि से इस प्रकरण का नंबर लिख गया है। जबकि इतनी राशि की वसूली इस मानसिंह वाले प्रकरण में नहीं होना है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 25,850/-रुपए की राशि इसी प्रकरण क्रमांक 35/2000-03 इजरा दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जोगेन्द्र सिंह आदि में जमा की गई है। इस प्रकार इस प्रकरण की इजरा राशि की पूर्ण संतुष्टि हो चुकी है। बीमा कंपनी का आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>मदयून का आवेदन स्वीकार करते हुए पूर्ण संतुष्टि में मैं इस इजरा प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।</p> <p>बीमा कंपनी की ओर से एक आवेदन उक्त राशि का भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में प्रथम से आदेश पत्रिका पर कार्यवाही की गई। भुगतान से पूर्व यह प्रकरण अभिलेखागार नहीं भेजा जावे।</p> <p>प्रकरण का नतीजा दर्ज कर भुगतान पश्चात प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर)</p> <p style="text-align: right;">सदस्य द्वितीय मो.दावा दुर्घ.प्राधि.गोहद</p>	